**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3170**

*7* **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ का प्रदर्शन**

**†3170. श्री मनीश तिवारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में है कि सुपर स्वच्छ लीग में स्थान पाने के बावजूद चंडीगढ़ स्रोत पर कचरा पृथक्करण और कचरा-मुक्त शहर (जीएफसी) प्रमाणन की श्रेणियों में सुधार दिखाने में विफल रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में चंडीगढ़ के वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है, विशेषकर स्रोत पर कचरा पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और घर-घर संग्रहण से संबंधित संकेतकों में;

(ग) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ लगातार 100% स्रोत पर कचरा पृथक्करण हासिल करने में विफल रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण में खराब प्रदर्शन के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को कोई चेतावनी या सलाह जारी की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ): स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में, एक नई प्रीमियर लीग यानी सुपर स्वच्छ लीग (एसएसएल) शुरू की गई है, जिसमें वे शहर शामिल हैं जो पिछले तीन वर्षों में एक बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। तदनुसार, चंडीगढ़ सहित 23 शहरों को प्रीमियर एसएसएल में स्थान मिला है। चंडीगढ़ का वर्ष-वार प्रदर्शन उनकी जनसंख्या श्रेणी के अनुसार https://ss2024.sbmurban.org/#/home पर देखा जा सकता है ।

स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए जाते हैं ताकि उनके शहरों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सके और चिंताजनक क्षेत्रों में सुधार किया

जा सके। सर्वेक्षण के तहत नागरिकों की प्रतिक्रिया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुधार के लिए उपयुक्त कार्यनीति/समाधान अपनाने हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

स्रोत पृथक्करण संपूर्ण प्रक्रिया श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें एडवोकेसी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तदनुसार, जागरूकता पैदा करने के लिए, 'जन आंदोलन' को तीव्र करने, स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुँचने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य/यूएलबी स्तर पर हितधारकों के लिए नियमित क्षमता निर्माण पहल के साथ-साथ देश भर में सफलता की कहानियों/सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार अपशिष्ट प्रसंस्करण विधियों की प्रतिकृति/उन्नयन में सहायता करता है।

*** **